न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर जौनपुर।

वाद संख्या :- 12 - धारा 143 ज0वि0अ0
मौजा - महसूर परगना जफराबाद तहसील सदर
सोनपत्ती देवी मेमो0 मे0 ट्रस्ट द्वारा मुख्तारेआम
अजीत कुमार सिंह बनाम सरकार

आदेश

सोनपत्ती देवी मेमो0 मे0 ट्रस्ट द्वारा मुख्तारेआम अजीत कुमार सिंह पुत्र लालसाहब सिंह निवासी मौजा छोनाबाद परगना डोभी तहसील सदर जिला जौनपुर मे स्थित मौजा महसूर की आराजी संख्या 47/-177, 65/-047, 55/- 231, 52/-101, 60/-117, 61/-268, 66/- 213, 69/-175 के बाबत धारा 143 ज0वि0अ0 के अन्तर्गत इस अभिकथन के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी निम्नांकित भूमि का क्रेता भूमिधर है। उक्त भूमि में प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित फार्मेसी कालेज का भवन, भण्डार गृह, जल संचालन, निजी मार्ग आदि स्थित है और समस्त भूमि कृषि आदि कार्यों से असम्बद्ध गैर कृषक उपयोग में आवासीय आबादी व भवन के रूप उपयोग की जा रही है और कुछ अंश में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष निर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत है। प्रार्थी को फार्मेसी कालेज के संचालन/ प्रारम्भ के सम्बन्ध में शासन से स्वीकृति हेतु उपरोक्त भूमि के गैर कृषक उपयोग के प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अन्त में याचना किया है कि निम्नांकित भूमि को गैर कृषक/ आबादी घोषित किये जाने की कृपा की जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में सहायक चकबन्दी अधिकारी से आख्या मंगायी गयी। चकबन्दीकर्ता ने इस आशय की आख्या प्रेषित किया है कि आराजी संख्या 69/-175 व 60/-117 कुल -293 में से 90/1/2 व 66/- 213 व 61/- 197/1/4 में से 3/4 अंश व 52/-101 47/-117, 55/-231, 65/-047 में 210/1/2 में फार्मेसी व डेन्टल कालेज बना है। शेष अन्य नम्बरों में निर्माण कार्य चल रहा है।

मैं वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि चकबन्दी कर्ता ने अपनी आख्या में कहा है कि आराजी संख्या 47/-047 65/-047, 55/-231, 52/-101, 60/- 117, 61/-268, 69/-175 66/-213 कृषि कार्य नहीं किया जाता है। उक्त आराजी नम्बर अकृषिक है। मैं स्वयं आराजी नम्बर का स्थलीय निरीक्षण किया। उक्त आराजी नम्बर फार्मेसी एवं डेंटल कालेज बना हुआ है। आराजी निजार्ई आबादी से घिरी हुई है। आराजी निजार्ई में कृषि नहीं किया जाता है। उक्त आराजी नम्बर अकृषिक है। ऐसी स्थिति में आराजी निजार्ई अकृषिक घोषित किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हुआ कि ग्राम महसूर की आराजी संख्या 47/-117, 65/-047, 55/-231, 52/-101, 60/-117, 61/-263, 66/-213, 69/-175 अकृषिक घोषित किया जाता है। [illegible]
[illegible]

ATTESTED